एस एम ए एम के तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी राशि जानें

अपने कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस एम ए एम) के तहत, भारत सरकार 8 हॉर्स पावर से 70 हॉर्स पावर तक के दो-पहिया ड्राइव (2डब्ल्यूडी) और 4-पहिया ड्राइव (4डब्ल्यूडी) ट्रैक्टरों की खरीद के लिए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके लिए भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अपने मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) के माध्यम से सब्सिडी दे रहा है।

योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को कुल लागत के 40-50% तक की सब्सिडी दी जाती है। महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित लाभार्थियों को ट्रैक्टर की कुल लागत के 50% तक सब्सिडी दी जाती है। अन्य लाभार्थियों के लिए सब्सिडी कुल लागत का 40% तक है।

ट्रैक्टर खरीद के लिए एस एम ए एम योजना के तहत लागत मानदंड और वित्तीय सहायता का प्रतिरुप

ट्रैक्टर	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता का प्रतिरुप	अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता का प्रतिरुप
ट्रैक्टर 2 डब्ल्यू डी (8-20 पी टी ओ हॉर्स पावर)	2 लाख रुपये	50%	1.60 लाख रुपये	40%
ट्रैक्टर 4 डब्ल्यू डी (8-20 पी टी ओ हॉर्स पावर)	2.25 लाख रुपये	50%	1.80 लाख रुपये	40%
ट्रैक्टर 2 डब्ल्यू डी (20-40) पी टी ओ हॉर्स पावर)	2.50 लाख रुपये	50%	2 लाख रुपये	40%
ट्रैक्टर 4 डब्ल्यू डी (20-40) पी टी ओ हॉर्स पावर)	3 लाख रुपये	50%	2.40 लाख रुपये	40%
ट्रैक्टर 2 डब्ल्यू डी (40-70) पी टी ओ हॉर्स पावर)	4.25 लाख रुपये	50%	3.40 लाख रुपये	40%
ट्रैक्टर 4 डब्ल्यूडी (40-70) पी टी ओ हॉर्स पावर)	5 लाख रुपये	50%	4 लाख रुपये	40%